न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 30/2011

कल्याणसहाय अध्यक्ष, ग्राम सभा ग्रामदानी ग्राम लाखावास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. फकीर खां पुत्र श्री शकूर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 19, कस्बा चाकसू, जिला– जयपुर।
   1/1 बाबू पुत्र स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/2 इकबाल पुत्र स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/3 सन्नो पुत्र स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/4 रज्जू पुत्र स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/5 जुन्ना पत्नी स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/6 अजीज खां पुत्र स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/7 वहीदेन बेगम पुत्री स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/8 अजीजन पुत्री स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/9 गुड्डी बेगम पुत्री स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/10 भेरू बेगम पुत्री स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
   1/11 हीना बेगम पुत्री स्व. श्री फकीर खां, जाति–मुसलमान, निवासी–वार्ड सं. 25, लालखाणी ढाणी, कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
2. जुम्मा पुत्र श्री मोहम्मद खां, जाति–मुसलमान, निवासी–कस्बा चाकसू, जिला–जयपुर।
3. भारमल पुत्र मन्नाराम, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम–हूकण, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

Scanned by CamScanner

4. कल्याण पुत्र मांगू, जाति–मीणा, निवासी–ग्राम–हूकण, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर। रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार, चाकसू दिनांक 12.05.2011 मुकदमा संख्या 3/2011 उनवानी कल्याणसहाय बनाम सलीम वगैराह)

उपस्थितः–
1. श्री सत्य प्रकाश पारीक, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ए. पी. सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 1 के का0मु0 व 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 बावजूद तामील अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 31.07.2019

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अध्यक्ष, ग्रामसभा ग्रामदानी गांव लाखावास, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर ने दिनांक 20.11.2004 को तहसीलदार, चाकसू को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 480/566 रकबा 0.19 हे0 पर फकीर खां, जुम्मा खां, आराजी खसरा नं0 470, 471, 517, 518, 519 कुल किता 5 पर भारमल मीणा निवासी–हूकण व आराजी खसरा नं. 424, 463 कुल किता 2 पर कल्याण पुत्र मांगू मीणा ने अनुसुचित जाति बैरवा की आराजी वाके ग्राम–लाखावास अतिक्रमण कर लिया है, जिन्हे बेदखल किया जावे। तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 14.12.2004 द्वारा अनुसूचित जाति की ग्रामदानी खातेदारी भूमि पर से आराजी खसरा नं0 527, 480/566, 444, 470, 471, 517, 518, 519 पर अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा भूमि ग्रामसभा लाखावास अध्यक्ष, ग्रामदानी लाखावास को संभलाने के आदेश दिऐ। तहसीलदार, चाकसू की आज्ञा दिनांक 14.12.2004 से व्यथीत होकर अपील किये जाने पर अति0 कलक्टर (द्वितीय), जयपुर ने अपनी आज्ञा दिनांक 05.05.2006 द्वारा आज्ञा दिनांक 14.12.2004 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया । तहसीलदार, चाकसू ने रिमाण्ड प्रकरण के अनुसरण में आज्ञा दिनांक 12.05.2011 द्वारा निर्णय पारित किया कि आराजी खसरा नं0 480/566 रकबा 0.19 हे0, गै0मु0 आबादी भूमि जो कि ग्रामसभा लाखावास अध्यक्ष ग्रामदानी गांव लाखावास के नाम दर्ज रिकार्ड है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है। तहसीलदार चाकसू की आज्ञा दिनांक 12.05.2011 से व्यथीत होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

Scanned by CamScanner

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट जारी किये गऐ। मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री सत्यप्रकाश पारीक का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ तहसीलदार, चाकसू ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया और मनमाने–तौर पर विधि–विरूद्ध आज्ञा पारित की है, जो अवैद्य होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 12.05.2011 पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी तथ्यों पर न तो गौर किया और न ही मौके का निरीक्षण किया जबकि पूर्व में अधीनस्थ तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 14.12.2004 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183बी के अन्तर्गत ही प्रार्थी अनुसूचित जाति के काश्तकारों की खातेदारी आराजी से अतिक्रमियों को बेदखल करने के आदेश दिये गऐ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नं0 480/566 कुल रकबा 0.19 हे0 किस्म गैर मुमकिन आबादी जोकि ग्रामसभा लाखावास अध्यक्ष ग्रामदानी गांव लाखावास के नाम है, धारा 183 भी लागू नहीं होती हैं, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आराजी खसरा नं0 480/566 के सम्बन्ध में आज्ञा दी है कि धारा 183बी लागू नहीं होती है, पर क्यों नहीं लागू होती है, इस तथ्य का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है, अपनी तर्क संगत राय स्पष्ट रूप से अंकित नहीं की है। प्रार्थी द्वारा केवल 480/566 के सम्बन्ध में ही दादरसी नहीं चाही गई है, प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में आराजी खसरा नं0 480/566, 470, 471, 517, 518, 519, 424, 463 पर से भी अतिक्रमण हटाने हेतु अनुतोष चाहा है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2011 में इन खसरा नम्बरान के अतिचार के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। आराजी खसरा नं0 480/566 आबादी भूमि नहीं है वरन राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी भूमि है, जमाबन्दी के किस्म जमीन कॉलम में केवल आराजी किस उपयोग में आ रही है वह इन्द्राज है, किस्म जमीन कॉलम में आबादी दर्ज होने से राजस्व अभिलेख से खातेदार का नाम नहीं हटाया जा सकता है जब तक कि सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियमानुसार आराजी का आबादी में रूपान्तरण न कर दिया जावें। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में दर्ज आराजी खसरा नं0 480/566, 470, 471, 517, 518, 519, 424, 463 अनुसूचित जाति के सदस्यों के नाम को खातेदारी भूमि है, के साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा नकल नामान्तरकरण पेश की है। धारा 183बी के प्रावधान अनसूचित जाति के काश्तकारों की आराजी पर अन्य लोगों द्वारा किये गऐ अतिचार को समेरी ट्रायल द्वारा बेदखल किये जाने हेतु किये गऐ है। धारा 183बी के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिऐ अभियोजित किया जाता है, वहां पर साबित करने का भार उस पर होगा कि

Scanned by CamScanner

उसने अपराध नहीं किया है। अप्रार्थीगण ने यह कहीं प्रमाणित नहीं किया है कि उनके द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्यों की आराजी पर अतिचार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 08.05.2008 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ती उठाई गई थी की प्रकरण में धारा 183बी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं आराजी ग्रामदानी भूमि है, अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्ती का गुणावगुण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आज्ञा दिनांक 01.01.2009 द्वारा आपत्ती खारीज की है और अपने निर्णय दिनांक 01.01.2009 में अभिलिखित किया है कि ग्रामदानी एक्ट की धारा 46 के तहत केवल सिविल/राजस्व न्यायालय के उन मामलात की सुनवाई का अधिकार नहीं रखती जिसका हल करने का अधिकार ग्रामदानी के अध्यक्ष तथा अधिकारी रखतें है ग्रामदानी भूमि पर अतिक्रमण होने की पुष्टि ग्रामदानी ग्राम के अध्यक्ष कर चुके हैं अतिक्रमी को बेदखल करने की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत की जानी है। धारा 183बी के अधिकार अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा दिनांक 01.01.2009 को किसी न्यायालय में चुनौती दी जाकर निरस्त नहीं कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपनी आज्ञा दिनांक 01.01.2009 से एस्टोप्ड है, अब पुनः इसी बिन्दु के आधार पर विपरीत आज्ञा पारित किया जाना अवैद्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई आज्ञा दिनांक 12.05.2011 की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.04.2011 को बहस सुनी जाकर वास्ते आदेश 20.04.2011 नियत की गई थी किन्तु 20.04.2011 को कोई आदेश नहीं सुनाया गया। इसके पश्चात प्रार्थी न्यायालय हाजा में लगातार सम्पर्क करता रहा परन्तु फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं दी बल्कि यही जाहिर किया की पत्रावली नहीं मिल रही है। काफी प्रयास करने के बाद जब प्रार्थी अंतिम बार दिनांक 12.07.2011 को नकल लेने के लिए गया तो संबंधित श्री लालचन्द ने कहा कि फाईल मिल गई है, फैसला तो दिनांक 12.05.2011 को ही गोयल साहब द्वारा कर दिया गया है। जानकारी मिलने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को नकल प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर प्रार्थी को दिनांक 19.07.2011 को नकल प्राप्त हुई है। अतः जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलान्ट की न तो कोई लापरवाही है और न ही कोई बदनियती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2016(3) डीएनजे(राज.)1461, डब्ल्यू.एल.सी(राज.)यूसी 2007 पेज 399, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 829, आर.आर.टी. 2011(2) पेज 1350 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील अपीलान्ट् स्वीकार फरमायी जावे अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2011 निरस्त फरमायी जावे व वाद ग्रस्त आराजी से रेस्पोडेन्ट्स को बेदखल किया जाकर अपीलान्ट को कब्जा दिलाया जावे।

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट सं0 1 के का0मु0 व 2 के विद्वान अभिभाषक श्री ए.पी. सिंह का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम नहीं है। वादग्रस्त आराजी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम लाखावास के नाम है। अध्यक्ष व ग्रामदानी की कोई जाति नहीं होती है। आराजी खसरा नं0 480/566 रकबा 0.19 हे0 गैर मुमकिन आबादी है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर ही यह निर्णित किया है कि धारा 183बी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। आबादी भूमि पर राजस्व अधिनियम लागू नहीं होते हैं। अपील प्रार्थना–पत्र मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट द्वारा किया गया कथन मात्र कपोल कल्पित मनगढन्त है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो कथन किया गया है वह मिथ्या है। दिनांक 13.04.2011 को बहस समाअत की जाकर पक्षकारों के अभिभाषकगण की उपस्थिति में पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20.04.2011 नियत की गई है। दिनांक 20.04.2011 को उभय पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित हुए हैं इस दिन वास्ते आदेश 12.05.2011 नियत की गई है और दिनांक 12.05.2011 को दोनो पक्षों के अभिभाषकों की उपस्थिति में निर्णय सुनाया गया है। आदेशिका दिनांक 12.05.2011 से स्थिति स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है और अपीलान्ट न्यायालय में क्लिन हेण्ड से नहीं आया है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो कुछ कथन किया गया है वह मिथ्या है। रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2010 डब्ल्यू.एल. सी पेज 001 राज0 एच0सी0, 2004 डब्ल्यू.एल.सी पेज 657 राज0 एच0सी0, 2011 डब्ल्यू.एल.सी(यूसी) राज0 पेज 122, 2009 डब्ल्यू.एल.सी राज0 पेज 637, 2016(1) सी.सी.सी राज0 पेज 165, 2008 डब्ल्यू.एल.सी राज0 पेज 307, ए आई आर 1994 (एस.सी.) पेज 466, 2013(3) सी.सी.सी(एस.सी) पेज 001, 2014(1) सी.सी.सी(एस.सी) पेज 111, 2014 सी.सी.सी(सप्ली0) पेज 29 न्यायिक दृष्टांन्त प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है और अपीलान्ट क्लीन हेण्ड से नहीं आया है अतः इस स्तर पर उसे कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2011 यथावत रखे जाने के आदेश फरमाये जावें ।

हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.11.2004 में आराजी खसरा नं0 480/566 रकबा 0.19 हे0 पर फकीर खां, जुम्मा खां, आराजी खसरा नं0 470, 471, 517, 518, 519 कुल किता 5 पर भारमल मीणा निवासी–हूकण व आराजी खसरा नं. 424, 463 कुल किता 2 पर कल्याण पुत्र मांगू मीणा का अतिचार होने से उन्हें बेदखल करने की इस्तदुआ की है जिसके संबंध में तहसीलदार, चाकसू ने अपनी आज्ञा दिनांक 14.12.2004 द्वारा अनुसूचित जाति की ग्रामदानी

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं0 527, 480/566, 444, 470, 471, 517, 518, 519 पर अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमियों को बेदखल कर कब्जा ग्रामसभा लाखावास अध्यक्ष, ग्रामदानी को सम्भलाने के आदेश दिये हैं, यद्यपि तहसीलदार, चाकसू की आज्ञा दिनांक 14.12.2004 को अपीलेट न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नकल राजस्व अभिलेख से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के खातेदारों की काश्तशुदा आराजी है और इसे आज्ञा दिनांक 14.12.2004 में स्वीकार भी किया गया है। आराजी खसरा नं0 480/566 रकबा 0.19 है0 राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है जिसकी किस्म जमीन गैर मुमकिन आबादी दर्ज है, गैर मुमकिन आबादी के संबंध में अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत विचारण प्रकरण में चस्पा होते हैं परिणामस्वरूप वादग्रस्त आराजी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के बाहर नहीं रखा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आज्ञा में मात्र आराजी खसरा नं0 480/566 के सम्बंध में ही अपना मन्तव्य प्रकट किया है शेष आराजी के अतिक्रमण संबंधी विवाद के संबंध में किसी प्रकार का विश्लेषण कर निर्णित नहीं किया गया है। तहसीलदार, चाकसू द्वारा यह भी निर्णित किया जा चुका है कि ग्रामदानी एक्ट की धारा 46 के तहत केवल सिविल/राजस्व न्यायालय के उन मामलात की सुनवाई का अधिकार नहीं रखती जिसका हल करने का अधिकार ग्रामदानी के अध्यक्ष तथा अधिकारी रखते है ग्रामदानी भूमि पर अतिक्रमण होने की सूचि ग्रामदानी के अध्यक्ष कर चुके हैं अतिक्रमी को बेदखल करने की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जानी है, जिसके अधिकार उनमें निहित है। मियाद के संबंध में ऐसे कोई तात्विक तथ्य नहीं है जो यह जाहिर करते हों कि अपीलान्ट् द्वारा किसी प्रकार से बदनियती की जाकर विलम्ब क्षम्य की प्रार्थना की गई हो अलबत्ता यह प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाने हेतु एक अच्छा प्रकरण है, अतः प्रकरण को अन्दर-मियाद शुमार किया जाता है। उक्त विश्लेषणानुसार वकील रेस्पोडेन्ट्स के कथन से हम सहमत नहीं है अतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 12.05.2011 निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विश्लेषण के परिपेक्ष्य में उभय पक्षों को सुनवाई साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विधि-सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner